संख्या-58/2026/727/छप्पन-2026-56-1002/(001)/1/2022

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में विभिन्न मदों के लिए पुर्नविनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-95/ना0उ0नि0/लेखा/ पुर्नविनियोजन/2026 दिनांक 13 जुलाई, 2026 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू0 550.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

मद का नाम	धनराशि (लाख रूपये में)
''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत	
42-अन्य व्यय	550.00
(रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)	550.00

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के पूँजी लेखा ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से कुल रू0 550.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि की उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर पूँजीगत लेखा ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42 अन्य व्यय'' की मद में कुल रू0 550.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) इंगित मदों के नामे डाला जाएगा।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद में व्यय की जायेंगी, अन्य मद पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशो से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

4- बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

6- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में निदेशक नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

8- यह आदेश ई-आफिस कम्प्यूटर नं0-1736717 (नोट संख्या-286) में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

पृ0सं0: 58 /2026/727(1)/छप्पन-2026-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-1.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2.
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।